

बिहार सरकार
वित्त विभाग

शुद्धि पत्र

संख्या- वि०(२७) पे०को०-४९/२०१९

पटना, दिनांक-

बिहार पेंशन नियमावली, १९५० के नियम ४३(ख) एवं १३९(ग) के हिन्दी एवं अंग्रेजी पाठ में आंशिक भिन्नता से उत्पन्न विसंगति के निराकरणार्थ हिन्दी पाठ में निम्नवत् संशोधन किया जाता है:-

१. बिहार पेंशन नियमावली, १९५० के नियम ४३(ख) में अंकित शब्दावली “यदि न्यायिक या विभागीय कार्यवाही से पता चले कि किसी सरकारी सेवक के सेवाकाल या पुनर्नियुक्ति की अवधि में उसकी उपेक्षा धोखे से राज्य सरकार को आर्थिक हानि पहुँची है, तो राज्य सरकार उस सरकारी सेवक के पेंशन से उस हानि की पूरी या आंशिक क्षति की राशि वसूल कर सकती है” को कृपया “यदि न्यायिक या विभागीय कार्यवाही से कोई सरकारी सेवक घोर कदाचार का दोषी साबित हो अथवा सरकारी सेवक के सेवाकाल या पुनर्नियुक्ति की अवधि में उसकी उपेक्षा धोखे से राज्य सरकार को आर्थिक हानि पहुँची है, तो राज्य सरकार उस सरकारी सेवक के पेंशन से उस हानि की पूरी या आंशिक क्षति की राशि वसूल कर सकती है” पढ़ा जाय ।

२. बिहार पेंशन नियमावली, १९५० के नियम १३९(ग) में अंकित शब्दावली “घोर कदाचार का पर्याप्त सबूत है तथा उसका कार्य पूर्ण असंतोषप्रद रहा है” को कृपया “घोर कदाचार का पर्याप्त सबूत है अथवा उसका कार्य पूर्ण असंतोषप्रद रहा है” पढ़ा जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय)

ज्ञापांक- वि०(२७) पे०को०-४९/२०१९

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/महालेखाकार, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय)।

ज्ञापांक- वि०(२७) पे०को०-४९/२०१९ २९६ पटना, दिनांक- १३-५-२०२०

प्रतिलिपि:- महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय/सचिव, बिहार विधान सभा/परिषद्/ प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट वित्त विभाग/सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय)।


13-5-2020

Govt. of Bihar
Finance Department

Notification

No-F(27) Pen. Cell-49/2019 _____/F, Patna, Dated _____

In exercise of the powers conferred under the Proviso of Article-309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following Rules to amend the Bihar Pension Rules, 1950 :-

1. Short title, extent and commencement.- (1) These Rules may be called The Bihar Pension (Amendment) Rules, 2020.
(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
(3) It shall come into force at once.
2. The term "State Government" as used in Rule- 43 and 139 of the Bihar Pension Rules, 1950 shall be substituted by "Appointment authority of the post held at the time of retirement."

By Order of the Governor of Bihar,

S/d
(Rahul Singh)
Secretary(Expenditure).

Memo No.-F(27)Pen.Cell-49/2019 _____/F, Patna, dated _____

Copy forwarded to Accountant General, Bihar, Patna/
Secretary, Bihar legislative Council/Secretary, Bihar Legislative
Assembly/Registrar General, Patna High Court for information &
necessary action.

S/d
(Rahul Singh)
Secretary(Expenditure).

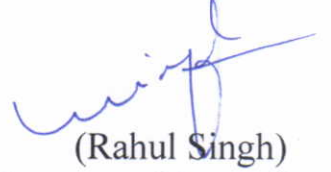
Memo No.-F(27)Pen.Cell-49/2019 _____/F, Patna, dated _____

Copy forwarded to All Government Departments/Heads of
the Departments/ Divisional Commissioners/ District Magistrates/
Treasury Officers for information and necessary action.

S/d
(Rahul Singh)
Secretary(Expenditure).

Memo No.-F(27)Pen.Cell-49/2019 295 /F, Patna, dated 13-5-2020
Copy forwarded to the Officer-in-charge, e-gazette, Finance Department/ System Analyst, Finance Department/ Superintendent, Govt. Press, Gulzarbagh, Patna for information & necessary action.

2. Superintendent, Govt. Press, Gulzarbagh shall arrange to provide 500 copies of this order to Finance Department, Pension Cell.



(Rahul Singh)

Secretary(Expenditure).

MB

13-5-2020